

नायब तहसीलदार रुपनगढ, जिला-अजमेर

स्व मुकदमा नं० 58 / 2022

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91
राज. भू राजस्व अधि० 1956

सरकार जरिये प०ह० रोडावास

बनाम

उगमाराम, दीपा, हुक्मा पि० मेहराम, रधुनाथ, सोराम पि० बोदू गुर्जर सा०देह
निर्णय दिनांक 15/11/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम रोडावास के आराजी खसरा नं० 748/746 किस्म गे०मु० चारागाह रकबा 8.3585 है० में से रकबा 0.2427 है० पर बाड लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत 91 राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान उपस्थित हुए। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण होना साबित होता है।


अतः आदेश दिये जाते हैं कि गैरसायल को ग्राम रोडावास के आराजी खसरा नं० 748/746 किस्म गे०मु० चारागाह रकबा 8.3585 है० में से रकबा 0.2427 है० पर बाड लगाकर किये गये अनाधिकृत कब्जा से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.48 रूपये का 50.गुणा 24.00 रूपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी/टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।



वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या
31 पर सं. 24 का मांग
कायमी की गई।
18/11/22
तहसील राजस्व लेखाकार


नायब तहसीलदार
तहसील रुपनगढ (अजमेर)